रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 2016/भाद्र 4, 1938
No. 334] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 2016/BHADRA 4, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2016

फा. सं. मानक/एफ़ एंड वी पी/ नोटिफ़िकेशन (02)/एफ़एसएसएआई -2016.—खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2016 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) धारा 92 की उपधारा (1) अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फा.सं. मानक/एफ़ एंड वी पी/ नोटिफ़िकेशन (02)/एफ़एसएसएआई -2016, तारीख 3 मई, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 11 मई, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया गया है;

अत:, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) दूसरा संशोधन विनियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3 के उप-विनियम 2.3.5 में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि फलों को कृत्रिम रूप से फसल, किस्म और परिपक्वता पर निर्भर करते हुये 100 पीपीएम (100 मि०ली० /ली०) सांद्रता पर इथाइलिन गैस का उपयोग करते हुये पकाया जा सकेगा" ।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./219]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा.सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा किया गया :

(i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 8 फरवरी, 2013 और

(ii) फा. सं. मानक/ओ एंड एफ़ /अधिसूचना (2)/एफ़एसएसएआई – 2016, तारीख 23 अगस्त, 2016.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2016

F.No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2016, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016 dated 3rd May, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 11th May, 2016;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 92 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition, Restrictions on Sales) Regulations, 2011, namely:-

Regulations

1. **Short title and commencement**.-(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Second Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, in Regulation 2.3, in sub regulation 2.3.5, the following proviso shall be inserted namely:-

"Provided that fruits may be artificially ripened by use of Ethylene gas at a concentration upto 100 ppm (100µl/L) depending upon the crop, variety and maturity".

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./219]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

(i) F.No.4/15015/30/2011 dated the 8th February, 2013 and

(ii) F.No. Stds/O&F/Notification(2)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKH NATH YADAV
Digitally signed by GORAKH NATH YADAV
Date: 2016.08.29 13:58:56 +05'30'